भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1818
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

फार्म रोड योजना

1818. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बारहमासी और सुगम पहुंच वाले कृषि मार्गों की कमी के कारण किसानों को अपने कृषि उत्पादों को खेतों से मुख्य सड़कों/बाजारों तक ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का किसानों को सुविधा प्रदान करने और ग्रामीण कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत फार्म रोड योजना को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नीति या दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं , यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पंचायतों की भूमिका , कृषि उत्पादन क्षेत्रों और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कृषि मार्गों का निर्माण किया जाएगा, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम-जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के पैरा 3 के अनुसार इस अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें एक सौ पच्चीस दिन के विस्तारित मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान

करते हुए, ग्रामीण विकास की अवसंरचना को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ना है, ताकि वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा तंत्र में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल हो सकें।

वीबी-जी राम-जी अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 4(2) (ख) श्रेणी II - मूल ग्रामीण अवसंरचना (i) के अनुसार, ग्रामीण सड़कों, पुलियों, आर-पार जल निकासी वाली संरचनाओं और ग्राम संपर्क सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करना अनुमेय कार्यकलाप हैं।

उपर्युक्त के अनुसार , कृषि उत्पादों को मुख्य सड़कों और बाजारों तक सुचारू परिवहन की सुविधा प्रदान करने और कृषि औजारों और खेती के उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए गांव या ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण सड़कों का कार्य शुरू किया जा सकता है।

****